

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

अनुसूची

[धारा 8(2) देखिए]

1. इस अनुसूची में "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" के प्रतिनिर्देश, जहां-जहां वे आते हैं का वही अर्थ होगा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय में क्रमशः उनका है।
2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए, नियम, भाग और अध्याय टिप्पण तथा पहली अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, जहां तक हो सकें, इस अनुसूची के निर्वचन के लिए लागू होंगे,—

क्र.स.	माल या सेवाओं की पूर्ति का वर्णन	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष, अध्याय या यथास्थिति, माल या सेवाओं की पूर्ति	वह अधिकतम दर जिस पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर संगृहीत किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पान मसाला।	2106 90 20	¹ [खुदरा विक्रय मूल्य का इक्यावन प्रतिशत]।
2.	तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प, जिसके अन्तर्गत तम्बाकू उत्पाद भी हैं।	24	² [चार हजार एक सौ सत्तर रूपए प्रति हजार यष्टि या मूल्यानुसार दो सौ नब्बे प्रतिशत या उसका समुच्चय, परंतु चार हजार एक सौ सत्तर रूपए प्रति हजार यष्टि जमा मूल्यानुसार दो सौ नब्बे प्रतिशत या खुदरा

- 1 वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) द्वारा "एक सौ पैंतीस प्रतिशत मूल्यानुसार" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अधिसूचना क्र. 01/2023-क्षतिपूर्ति उपकर, दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रभावशील किया गया।
- 2 वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) द्वारा "चार हजार एक सौ सत्तर रूपए प्रति हजार यष्टि या मूल्यानुसार दो सौ नब्बे प्रतिशत या उसका समुच्चय, किन्तु मूल्यानुसार चार हजार एक सौ सत्तर रूपए प्रति हजार यष्टि जमा दो सौ नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अधिसूचना क्र. 01/2023-क्षतिपूर्ति उपकर, दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रभावशील किया गया।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

			विक्रय कीमत के सौ प्रतिशत से अधिक नहीं।
3.	कोयला, इष्टिकाओं, अण्डाभों और कोयला, लिग्नाइट, चाहे संपिण्डित है या नहीं, जिसके अन्तर्गत जैट नहीं है, पीट (जिसके अन्तर्गत पीट तृणशैय्या भी है) चाहे संपिण्डित है या नहीं, से विनिर्मित वैसे ही ठोस ईंधन।	2701, 2702 या 2703	चार सौ रूपए प्रति टन।
4.	वातित जल।	2202 10 10	मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत।
³ [4क.	चालक सहित तेरह से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर यान।	8702 10, 8702 20, 8702 30 या 8702 90	मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत।]
5.	व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रमुखतः अभिकल्पित मोटर कार और अन्य मोटर यान (चालक सहित दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर से भिन्न), जिसके अंतर्गत स्टेशन वैगन और दौड़ प्रतियोगिता वाली कार भी हैं।	8703	⁴ [मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत]।

3 अनुक्रमांक 4क माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2017 (2018 का क. 9) द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 02.09.2017)।

4 माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2017 (2018 का क. 9) द्वारा "मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 02.09.2017)।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

6.	कोई अन्य पूर्ति।	मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत।
----	------------------	-----------------------------

⁵[स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) “खुदरा विक्रय कीमत” से वह अधिकतम विक्रय कीमत अभिप्रेत है, जिस पर पैक की गई अवस्था में संबद्ध माल को अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जा सके और उसमें सभी कर, स्थानिय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यौहारों का संदेय कमीशन, और विज्ञापन, परिदान, पैक करने, अग्रेषित करने के लिए अज्ञर ऐसे समान सभी प्रभार सम्मिलित हैं तथा ऐसे विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल है :

परंतु विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के उपबंधों या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधी के अधीन बनाए गए नियमों की दशा में पैकेज के उपर किन्हीं करों, स्थानिय या अन्यथा को छोड़कर, खुदरा विक्रय कीमत घोषित करना अपेक्षित हो, खुदरा विक्रय कीमत का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

- (ii) जहां किसी संबद्ध माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय कीमत घोषित की जाती है, ऐसी खुदरा विक्रय कीमतों के अधिकतम को, खुदरा विक्रय कीमत समझा जाएगा;
- (iii) जहां किसी संबद्ध माल के पैकेज पर विनिर्माण स्थल से उसकी निकासी के समय घोषित खुदरा विक्रय कीमत को, खुदरा विक्रय कीमत समझा जाएगा;
- (iv) जहां विभिन्न क्षेत्रों में पैक की गई अवस्था में किसी संबद्ध माल के विक्रय के लिए भिन्न-भिन्न पैकेजों पर भिन्न-भिन्न खुदरा विक्रय कीमत घोषित की जाती है, प्रत्येक ऐसी खुदरा विक्रय कीमत, उस क्षेत्र, जिससे खुदरा विक्रय कीमत संबद्ध है, में विक्रय किए जाने के लिए आशयित उक्त माल के लिए उपकर की दर के अवधारण के प्रयांजनों के लिए खुदरा विक्रय कीमत समझी जाएगी।]

5 वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। यह संशोधन अधिसूचना क. 01/2023-क्षतिपूर्ति उपकर, दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रभावशील किया गया।